

三

ममता श्रीवास्तव,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

四

राधिका  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र-२ समुदाय केन्द्र,  
प्रति पिलार, नईदिल्ली।

Figure 7) suggests

卷之三

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझ यह कहन का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०वी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबंध रामिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के ग्रेसवी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ७०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद् / वैशिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मौम नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेट्रल बोर्ड आफ रोकेण्ट्री एजूकेशन नईदिल्ली/कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकजामिनेशन नईदिल्ली रो प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से ७०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः सामाप्त हो जायेगे।

(5) रास्थ के शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वैतनमानों तथा अन्य भूतों से कम वैतनमान तथा अन्य भूतों नहीं दिये जायेंगे।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

100

Attested

*Chair*  
PRINCIPAL

**PRINCIPAL**  
Nimisha Convent School  
Matka Salon, Raebareli  
School No. 71153

- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्मात किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुग्रहन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2— उक्त प्रतिवंशों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवंशों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुक या शिथिलता वर्ती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

मवदीय,

(ममता श्रीवास्तव)  
उप सचिव ।

पुरसंख्या एवं दिनांक तर्दव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— शिला निदेशक(मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2— मण्डलीय संयुक्त शिला निदेशक, लखनऊ ।
- 3— जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली ।
- 4— निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5— प्रबंधक, निमिषा कार्नेट रॉडल मटका, सलोन, रायबरेली ।
- 6— बार्ड चुक ।

आज्ञा रै,

(ममता श्रीवास्तव)  
उप सचिव ।

Attested

Renu

PRINCIPAL

Nimisha Convent School

Matka Salon, Raebareli

School No. 71153